

संख्या २०८० / १११(२) / २१-६६(एम०एल०ए०) / २०१७ टी.सी.-४  
23/07/21

संख्या २०८० / १११(२) / २१-६६(एम०एल०ए०) / २०१७ टी.सी.-४

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

✓ प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

२००३  
८८ (०)

प्रमुख अभियन्ता  
प्रमुख अभियन्ता विभा

८५० (०) ॥ ५००

११/२०१७  
मुख्य अभियन्ता स्टै-२  
मुख्यालय (नियोजन)

१०८१

४  
२६८१

लोक निर्माण अनुबाग-२

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-रुद्रपुर के अन्तर्गत विभिन्न 05 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्दानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसकी कुल लम्बाई 4.335 किमी० एवं लागत रु० 94.69 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 94.19 लाख (रु० चौरानबे लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्रति कार्य रु० 0.10 लाख (रु० दस हजार मात्र) अर्थात् 05 कार्य हेतु रु. 0.50 लाख (रु० पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (i) विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर तीजाग्रेरी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रौद्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 305 / XXVII/(2)/2020 दिनांक 13 जुलाई 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


संलग्न-उक्तानुसार

  
भवदीय,  
(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव

संख्या 111(2)/21-66(एम0एल0ए0) / 2017 टी.सी.-4 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, हल्द्वानी।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून / ऊधमसिंहनगर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
11. गार्ड बुक।


आज्ञा से,

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव

संख्या-2080 / 111(2) / 20-66(एम०एल०ए०) / 2017 टी.सी.-4 दिनांक 20 जुलाई, 2021 का संलग्नक।  
 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० मे०)	शासन द्वारा अनु. लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत जेसिस पब्लिक स्कूल गंगापुर मार्ग से तीनपानी डैम को जाने वाले मार्ग पर स्थित गणेश गार्डन कालोनी के विभिन्न मार्गों का पी०सी० द्वारा पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	17.22	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत वार्ड नं०-25 फाजलपुर महरौला में विभिन्न आन्तरिक मार्गों का प्रीमिक्स कारपेट द्वारा पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.635	15.68	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत खेड़ा गंगापुर मार्ग से शुभडेल कॉलोनी तक पी०सी० द्वारा पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.900	21.57	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत मां सरवेशवरी कॉलोनी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का पी०सी० द्वारा पुनः निर्माण का कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.600	21.60	0.10
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत मानुनगर मुख्य मार्ग से रतनपुरी तक मार्ग का पी०सी० द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1.60	18.12	0.10
	योग	4.335	94.19	0.50

(कुल रु० पचास हजार मात्र)

आज्ञा से,  
  
 (श्याम सिंह)  
 संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022 )

**Secretary-Secretary, PWD(S038)**

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -2080/III(2)/21-66(MLA)17TC4  
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21070220038  
आवंटन पत्र दिनांक-20-JUL-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-  
800-03-02से स्थानान्तरित )

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम			पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग			
53-वृहद निर्माण			3600000		50000		0		3650000			
योग			3600000		50000		0		3650000			

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
“नियोजन-।” उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: [eicpwd.uk@nic.in](mailto:eicpwd.uk@nic.in)

पत्रांक- 751 /20 याता०'क' /2021

दिनांक-13 .08.2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर (उधमसिंहनगर)।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

XMM 6/7/21  
अमर ८० ली० एस० पकर  
प्राविधिक